भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 4051**

(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**छोटे एवं सीमांत किसानों को एटीएम कार्ड**

4051. श्री राजकुमार धूत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या महाराष्ट्र और देश के अन्य भागों के छोटे एवं सीमांत किसानों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए उन्हें एटीएम कार्ड उपलब्ध कराने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई समय-सीमा निर्धरित की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकारी क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के बैंकों की भूमिका क्या होगी?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)

**(क) से (घ):** सरकार ने वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), लघु वित्त बैंकों एवं सहकारी बैंकों द्वारा छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों को केसीसी जारी करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की शुरुआत की है। यह योजना फसलों की उगाई के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं, कटाई के उपरांत होने वाले व्यय, उत्पाद विपणन, किसान परिवारों की उपभोग आवश्यकता, कृषि आस्तियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकता और कृषि से संबद्ध कार्यकलापों; तथा कृषि एवं कृषि से संबद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश ऋण आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाती है।

 केसीसी योजना में एटीएम समर्थित रूपे डेबिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, एकबारगी प्रलेखन, सीमा के अंतर्गत अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के अंतर्गत अनगिनत आहरण, आदि की सुविधा दी गई है। सरकार केसीसी को आरकेसीसी में परिवर्तित करने संबंधी प्रगति की गहनता से निगरानी कर रही है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा एक अभियान के रूप में परिचालित/सक्रिय केसीसी को आरकेसीसी में परिवर्तित करने में सहयोग देने के लिए कहा गया है।

 सहकारी बैंकों के संबंध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), आरआरबी और नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, जारी कि गए परिचालित केसीसी और आरकेसीसी का एजेंसी-वार विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

(संख्या लाख में)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **एजेंसी** | **परिचालित/सक्रिय केसीसी की संख्या** | **आरकेसीसी में परिवर्तित किए गए केसीसी की संख्या** | **परिवर्तन %** |
| पीएसबी  | 218.03 | 210.34 | 96.47 |
| आरआरबी  | 101.31 | 99.25 | 97.97 |
| सहकारी बैंक  | 214.48 | 161.16 | 75.14 |
| **कुल**  | **533.82** | **470.75** | **88.19** |

\*\*\*\*\*